

पूर्व मध्य रेल/EAST CENTRAL RAILWAY
प्लान्ट डिपो / PLANT DEPOT
पं० दीन दयाल उपाध्याय / Pt.Deen Dayal Upadhyaya

कार्यालय आदेश सं०-27/ई

दिनांक- 29.01.2021

छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं०- 161/2006, 104/09, एवं 15/2011 के आलोक में निम्नलिखित कर्मचारी का 10 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान उनके आवेदन पत्र के अनुसार किया जाता है। जिसे सक्षम अधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	पास/पी.टी. ओ. विवरण	स्वीकृत के पूर्व अर्जित अवकाश	वर्तमान में ली गयी अवकाश	स्वीकृत के पश्चात अर्जित अवकाश	नगदीकरण
1.	श्री किशोर कुमार भारती	सहायक इंजी०/ पीडी/ डीडीयू	पास सं० A 082442 दिनांक 30.10.20	300 + 15 दिन	दिनांक-21.11.20 एवं 23.11.20 से 27.11.20 तक 06 दिन का आकस्मिक अवकाश	290+ 15 दिन	10 दिन (चतुर्थ नगदीकरण)

Signed by Deepak Raj Ray

Date: 29-01-2021 14:59:12

Reason: Approved

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

प्लान्ट डिपो/ डीडीयू

डा०सं०- ECR-PD0PERS(GAZ)/1/2021

दिनांक- 29.01.2021

प्रातिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरीय सहायक वित्त सलाहकार/ पी०डी०/ डीडीयू।
2. मु०का०अधी०/ स्था०/ वेतन/ पी०डी०/ डीडीयू।
3. सम्बंधित अधिकारी।